



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035



(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 11/2026 (हेड हवलदार/हवलदार)
Establishment Order (N.G.O) No. 11/2026 (Head Havaladar/Havaladar)
दिनांक 08 अप्रैल, 2026 Dated 08th April, 2026

अपर आयुक्त, केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं.नि.प्रा), हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा हवलदार से हेड हवलदार के संवर्ग में रेग्युलर और स्थानस्थ आधार पर पदोन्नती के संदर्भ में जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. No. 198/CCA/2025 दिनांक 31.12.2025 के परिणामस्वरूप हेड हवलदार और हवलदार संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित हैं:-

Consequent upon the promotion of Havalendars to the grade of Head Havalendars on regular basis and on in-situ basis vide EO (NGO) No. 198/CCA/2025 dated 31.12.2025 issued by the Additional Commissioner, O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate, the following postings and transfers in the cadre of Head Havaladar & Havaladar of Central Tax are hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री/) और पदनाम Name of the Officer (Shri) & Designation	वर्तमान तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया स्थान Posted to
1.	एम मल्लेश बाबू, हेड हवलदार M Mallesh Babu, Head Havaladar	आवंटन पर On Allotment	गुंटूर अपील Guntur Appeals
2.	मल्लिकार्जुन राव पाला, हेड हवलदार Mallikarjuna Rao Pala, Head Havaladar	आवंटन पर On Allotment	डीजीजीआई DGGI
3.	बम्मिडी श्रीनिवास राव, हवलदार Bammidi Srinivasa Rao, Havaladar	मु. आ. का. CCO	डीजीजीआई DGGI
4.	टी वी सरथ चंद्र, हवलदार T V Sarath Chandra, Havaladar	विशाखपट्टणम सीजीएसटी Visakhapatnam CGST	डीजीजीआई DGGI
5.	मददी भगवान, हवलदार Maddi Bhagawan, Havaladar	तिरुपति सीजीएसटी Tirupati CGST	विशाखपट्टणम सीजीएसटी Visakhapatnam CGST
6.	शेख खाजावली हवलदार Shaik Khajavali Havaladar	गुंटूर अपील Guntur Appeals	गुंटूर सीजीएसटी (एल सी सी अमरावती के लिए) Guntur CGST (for LCC Amaravati)

2. बोर्ड के फा.सं. ए-11019/5/2017-एडी.IV दिनांक 16.06.2017 के अनुसार, डी जी जी आई, विशाखपट्टणम जोनल इकाई / नासिन, क्षेत्रीय कैंपस, विशाखपट्टणम में किए गए सभी तैनातियों स्थानीय स्थानान्तरण आधार पर (मु.आ.का. की स्वीकृत संख्या में से) निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए है।

In terms of Board's F.No.A-11019/5/2017-Ad.IV dated 16.06.2017, the posting to DGGI, Visakhapatnam Zonal Unit is on local transfer basis (from the sanctioned strength of CCO) for an initial period of two years from the date of joining in the Directorate.

3. मु.आ.का. की स्वीकृत संख्या में से स्थानीय निदेशालयों में तैनात अधिकारियों के वेतन और भत्ते आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ), विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा आहरित किये जाएंगे और ऐसे अधिकारियों के सेवा मामलों को विशाखापट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा संभाला जाएगा।

The pay & allowances of the officer posted to the local Directorates from the sanctioned strength of CCO will be drawn by the DDO, Visakhapatnam CGST Commissionerate and all service matters of such officers would be handled by Visakhapatnam CGST Commissionerate.

4. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं.नि.प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा हेड हवलदार के संवर्ग में हवलदारों के रेग्युलर और स्थानस्थ आधार पर पदोन्नती के संदर्भ में जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. No. 198/CCA/2025 दिनांक 31.12.2025 में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें उक्त आदेशों में उल्लिखित हेड हवलदारों के संबंध में अपरिवर्तित रहेंगे।

All the terms & conditions mentioned in EO (NGO) No. 198/CCA/2025 dated 31.12.2025 regarding promotion of Havaldars to the grade of Head Havaldars issued by the Additional Commissioner, O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate remain unaltered in respect of Head Havaldars mentioned therein, as applicable.

5. स्थानांतरण प्राप्त सभी अधिकारियों को, सिवाय उन मामलों के जहां विशिष्ट तिथियों का उल्लेख किया गया हो, **24.04.2026** को या उससे पहले अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करना है। ऐसा न करने पर अधिकारियों को **27.04.2026** को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त माना जाएगा। संबंधित आयुक्तालय इस कार्यालय को उक्त अधिकारियों के कार्यमुक्ति/कार्य ग्रहण करने की तिथि के बारे में **28.04.2026** तक सूचित करेंगे।

All officers under orders of transfer, except in cases where specific dates have been mentioned, are to join their new place of posting on or before **24.04.2026** failing which the officers would be deemed to be relieved from their present place of posting on **27.04.2026**. The date of relief / joining shall be intimated to this office by respective Commissionerates by **28.04.2026**.

6. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएं। Necessary entries may be made in relevant records.

7. इसके अलावा, आंतरिक पोस्टिंग आदेश जारी करते समय और प्रभार आवंटित करते समय, संवेदनशील/गैर-संवेदनशील पोस्टिंग के संबंध में सभी आयुक्तालयों को डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.243/बीवीएस/एचआरडी (एचआरएम-1)/विविध सेल/डीजी सेल/2023 दिनांक 14.09.2023 और इस कार्यालय के पत्र जीसीसीओ/II/(3)/186/2023- स्थापना दिनांक 14.12.2023 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है।

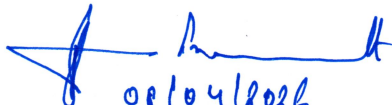
Further, while issuing internal posting orders and allocating charges, all Commissionerates are to strictly adhere to instructions contained in DGHRD letter F.No.243/BVS/HRD (HRM-I)/ Misc. Cell / DG Cell / 2023 dated 14.09.2023 and this office letter GCCO /II/(3)/186 / 2023- Estt dated 14.12.2023 regarding sensitive/non-sensitive postings.

8. हेड हवलदार और हवलदार के संवर्ग में एजीटी 2026 के लिए प्राप्त सभी अभ्यावेदन इस स्थापना आदेश के जारी होने के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

All the representations received for AGT 2026 in the cadre of Head Havaldars and Havaldars stand disposed with the issue of this Establishment Order.

9. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

10. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.


08/04/2026

(काकराला प्रशांत कुमार/Kakarala Prasanth Kumar)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/10/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-PT III]
सेवा में

संबंधित व्यक्तियों को (संबंधित आयुक्तालयों / निदेशालयों के माध्यम से)।

To

The Individual officers (through respective Commissionerates / Directorates)

प्रतिलिपि:

11. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी / गुंटूर अपील / हैदराबाद सीजीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।
2. प्रधान अपर महानिदेशक, डी जी जी आई, विशाखपट्टणम जोनल इकाई ।
3. मु.ले. अधिकारी / आ सं अधिकारी विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / तिरुपति सीजीएसटी / गुंटूर अपील आयुक्तालय / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, विजयवाड़ा।
4. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखपट्टणम /गुंटूर/तिरुपति सीजीएसटी ।
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur CGST /Tirupati CGST / Guntur Appeals / Hyderabad CGST (CCA) Commissionerate.
2. The Pr. ADG, DGGI, Visakhapatnam Zonal Unit, Visakhapatnam.
3. CAO / DDO Visakhapatnam CGST / Guntur CGST /Tirupati CGST/Guntur Appeals Commissionerates / CPC, Vijayawada
4. PAO of Visakhapatnam/Guntur/ Tirupati CGST.
5. Notice Board/website/Stock file.